

२७/१८

Not Press

Compulsory

Identified

Signature

वकील वादी उपस्थित। वकील वादी के द्वारा वाद पत्र  
 नोट प्रेस किया गया। वादी के द्वारा दिनांक २०.१.१८  
 को भी प्राचन पत्र पेश कर विवेदन किया  
 है कि वह प्रकरण को आगे नहीं भलाना चाहते  
 हैं। और इसी स्टेज पर नोट प्रेस करना चाहते  
 हैं प्रकरण का विस्तारण कर दारिखल दफतर  
 किया जावे। पत्रावली का अपलोकन किया गया  
 प्रकरण प्राथमिक स्टेज पर है। वादी का प्राचन  
 पत्र स्वीकार किया जाकर प्रकरण इसी स्टेज  
 पर खारिज किया जाता है पत्रावली निर्णति  
 होकर नाबर से कम होकर दारिखल दफतर हो



उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)  
 बीकरणपर (श्री गंगानगर)